



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225168  
CG-DL-E-15022021-225168

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]  
No. 77]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

फा. सं. सम्मे. 5(12)2003/एच.आर./2642.—कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद(1) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि), द्वारा हरियाणा राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), का पुनर्गठन किया गया तथा अधिसूचना सं. सम्मे. 5 (12)/2003/एच.आर./10846 दिनांक 12.02.2020 द्वारा गजट आई डी सी.जी. डी- एल-ई- 22022020-216324 के अंतर्गत भारत के राजपत्र (असाधारण), खंड-III, भाग 4 में दिनांक 20.02.2020 को अधिसूचित किया गया।

2. अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि), ने, भारत के राजपत्र (असाधारण), खंड-III, भाग 4 में गजट आई डी सी.जी. डी- एल-ई- 22022020-216324 के साथ अधिसूचना सं. सम्मे.5 (12)/2003/एच.आर./10846 दिनांक 12.02.2020 द्वारा दिनांक 20.02.2020 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन का अनुमोदन किया है।

3. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और 3 पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाए।

गजट अधिसूचना दिनांक 20.02.2020 में क्र.सं.	सदस्य का नाम एवं पदनाम	के रूप में नियुक्ति (संबंधित पैरा के अंतर्गत)
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, श्रम	अध्यक्ष [अनुच्छेद 4 (1) (ए) के अंतर्गत ]

3.	अपर श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त	सदस्य, जिनकी राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई [अनुच्छेद 4 (1) (बी) के अंतर्गत ]
----	-------------------------------------	--

4. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सुनील बड़थवाल, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./498/2020-21]

## EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2021

**F. No. Conf. 5(12)2003/HR/2642.**—In accordance with the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme 1952, the Regional Committee (Employees' Provident Fund) for the State of Haryana was reconstituted by the Chairman, Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) and notified on 20.02.2020 in the Gazette of India (Extraordinary), Part-III, Section-4 with Gazette ID CG-DL-E-22022020-216324 vide Notification No. Conf. 5(12)2003/HR/10846 dated 12.02.2020.

2. The Chairman, Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) has approved the following amendment in the notification published on 20.02.2020 in the Gazette of India (Extraordinary), Part-III, Section-4 with Gazette ID CG-DL-E-22022020-216324 vide Notification No. Conf. 5(12)2003/HR/10846 dated 12.02.2020.

3. In the said notification, the following entry shall be substituted at Sl No. 1 and Sl No. 3 namely:-

Sl. No. of the Gazette Notification dated 20.02.2020.	Name & Designation of the member	Appointment As (under relevant Para)
1.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Labour.	<b>Chairman</b> [Under Para 4(1)(a)]
3.	Additional Labour Commissioner/ Joint Labour Commissioner.	<b>Members recommended by the State Government</b> [Under Para 4(1)(b)]

4. This will come into force with immediate effect.

SUNIL BARTHWAL, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./498/2020-21]